भारत सरकार / 405- स.प्र.
केंद्रीय संचार ब्यूरो
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट: www.cbcindia.gov.in

सं. डीडी (एवी)/रेट्स –प्राइवेट एफएम/2026 दिनांक: 6 नवंबर 2026

परामर्शिका

विषय: निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर सीबीसी द्वारा सरकारी विज्ञापनों के प्रसारण के लिए निर्धारित दरों की वैधता के विस्तार – के संबंध में।

यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 05.10.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एम-24013/16/2022-एमयूसी-आई के अनुसरण में जारी सीबीसी के दिनांक 03.11.2023 की परामर्शिका संख्या सीओ (एवी)/प्राइवेट एफएम एम्पनेलमेंट/2023-24-एवी/रेडियो के संदर्भ में है, जिसके माध्यम से निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर सरकारी विज्ञापनों के प्रसारण के लिए संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया था। उक्त परामर्शिका के अनुच्छेद 2 के अनुसार, संशोधित दरें अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए , अर्थात् 02.11.2026 तक वैध थीं।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति से, उपर्युक्त दरों की वैधता को तीन वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 03.11.2026 से 02.11.2029 तक, या अगले आईआरएस सर्वेक्षण के जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है। दिनांक 03.11.2023 की परामर्शिका में निर्धारित अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सत्ती किशोर कुमार)
निदेशक